राजस्थान सरकार
निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

गार्गी पुरस्कार के सम्बन्ध मे दिशा निर्देश

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दिशा मे बालिका शिक्षा फाउन्डेशन द्वारा संस्कृत शिक्षा की प्रतिभावान बालिकाओं को उनकी बोर्ड परीक्षा मे उपलब्धियो के आधार पर प्रति वर्ष गार्गी पुरस्कार ;सीनियर व जूनियर वर्ग प्रदान किये जाते है□

गार्गी पुरस्कार – सीनियर वर्ग

(अ) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रवेशिका परीक्षा मे 75 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाऐ जो कनिष्ठ उपाध्याय मे नियमित अध्ययनरत हो ऐसी छात्राऐ पुरस्कार की पात्र होगी□

(ब) पात्र छात्राओ को गार्गी पुरस्कार दिलवाने हेतु विभाग द्वारा प्रवेशिका परीक्षा में 75प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं की सूची माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मंगवाई जाती है तथा
बालिका शिक्षा फाउन्डेशन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाते है□

(स) सचिव बालिका शिक्षा फाउन्उेशन द्वारा उक्त सूची के अनुसार पात्र छात्राओं के पुरस्कार की राशि को जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)के माध्यम से प्रति वर्ष बसन्त पंचमी के दिवस पर राशि वितरित की जाती है□

(द) संस्कृत शिक्षा की बालिकाओं को यह राशि सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के माध्यम से वितरित की जाती है□

(य) पुरस्कार वितरण का स्थान नियत हो जाने के पश्चात सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) पात्र छात्राओं को सूचना प्रेषित करते है। छात्रा से एक प्रपत्र की पूर्ति कराई जाती है तथा छात्रा द्वारा प्रपत्र वर्तमान संस्था प्रधान से प्रमाणित करवा कर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के पास जमा करवाया जाता है। यह प्रपत्र इस लिए भरवाया जाता है ताकि छात्रा को प्रदान किये जाने वाले पुरस्कार की पात्रता प्रमाणित हो सके□

(र) इस पुरस्कार हेतु एक अकादमिक सत्र की प्रवेशिका परीक्षा मे 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को कनिष्ठ उपाध्याय में नियमित अध्यनरत रहने पर प्रथम किस्त का भुगतान किया जाता है□द्वितीय किस्त का भुगतान उसी छात्रा को किया जाता है जो वरिष्ठ उपाध्याय मे अध्ययनरत रहती है□ऐसी छात्राऐ जो कनिष्ठ उपाध्याय मे अनुतीर्ण रह जाती है अथवा राज्य मे कही भी अध्ययनरत नही रहती है उसे यह पुरस्कार देय नही होगा□

गार्गी पुरस्कार जूनियर वर्ग

संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अष्टम बोर्ड परीक्षा मे पंचायत समिति स्तर एवं जिला मुख्यालय स्तर पर सर्वाधक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा इस पुरस्कार की पात्र होगी□पात्र छात्राओं के नाम सम्बन्धित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी द्वारा सचिव, बलिका शिक्षा फाउन्डेशन को भिजवाये जाते है । तत्पश्चात् बालिका शिक्षा फाउन्डेशन द्वारा प्रस्तावो का परीक्षण कर छात्राओ का चयन किया जाता है□पुरस्कार हेतु चयनित छात्राओ की सूची एवं पुरस्कार राशि को बालिका शिक्षा फाउन्उेशन द्वारा संम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवाई जाती है□

संस्कृत शिक्षा विभाग की बालिकाओं को पुरस्कार राशि जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ही दी जाती है□

गार्गी पुरस्कार की राशि उन्ही पात्र छात्राओं को दी जायेगी जो कक्षा 9 मे अध्ययनरत है□ कक्षा 9 मे नियमित अध्यनरत रहने पर पात्र छात्रा को प्रथम किस्त का भुगतान किया जावेगा तथा कक्षा 10 मे नियमित अध्ययनरत रहने पर द्वितीय किस्त का भुगतान किया जावेगा।यदि कोई छात्रा कक्षा 9 मे अनुत्तीर्ण हो गई है या राज्य मे अध्ययनरत नही है उसे यह पुरस्कार नही दिया जावेगा□

पुरस्कार हेतु जूनियर व सीनियर वर्ग की सभी छात्राओं को संस्था मे नियमित अध्ययनरत रहने का संस्था प्रधान द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । जूनियर व सीनियर वर्ग के लिए पुरस्कार राशि 1000 रूपयें प्रति छात्रा होगी।

गार्गी पुरस्कार के सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए बालिका शिक्षा फाउन्डेशन,झालाना डूँगरी ,जयपुर से सर्म्पक किया जा सकता है□